07.09.2017

अपीलार्थीगण द्वारा अधि० श्री प्रवीण गुप्ता उपस्थित।।

> प्रत्यर्थी कं. 1, 2 द्वारा अधि. श्री हृदेश शुक्ला। प्रत्यर्थी कं. 3 अनिर्वाहित।

प्रकरण में प्रत्यर्थी क्रमांक 1, 2 दिनांक 25.01. 2016 को उपस्थित हो गये थे और उक्त दिनांक से ही प्रथ्यर्थी क्रमांक 3 की उपस्थिति हेतु अपीलार्थी को तलवाना प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। किंतु 25.01.2016 के पश्चात 5 अवसर दिये जाने के पश्चात भी अपीलार्थी की ओर से प्रथ्यर्थी क्रमांक 3 की उपस्थिति हेतु तलवाना प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे प्रत्यर्थी क्रमांक 3 पर नोटिस का निर्वाह नहीं हो पाया है।

अतः यह अपील आदेश 9 नियम 2 सहपिठत आदेश 41 नियम 14(1) के अंतर्गत अपीलार्थीगण की ओर से समनों की तामील के खर्चे देने में असफल रहने के आधार पर निरस्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकॉर्ड अभिलेखागार भेजा जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की एक प्रति सूचनार्थ एवं पालनार्थ भेजी जावे।

> वीरेन्द्र सिंह राजपूत अपर जिला जज गोहद